संख्या-26/2015/173वी0आई0पी0/86-2015-289/2015

प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0 ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

विषय :- अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अन्य प्रदेशों की सीमायें भी लगती है, जहॉ से काफी संख्या में उपखनिजों को लेकर ओवर लोडेड ट्रक व अन्य वाहन प्रदेश में प्रवेश करते है। उन वाहनों पर निर्धारित मात्रा से अधिक विभिन्न प्रकार के उपखनिज लदे होते है और उनके पास जे प्रपत्र एम0एम0-11 (रवन्ना) उपलब्ध होते है, वह भी कोई प्रकरणों में जॉच करने पर फर्जी पाये जाते है, जिससे कि प्रदेश को उन वाहनों से प्राप्त होने वाला राजस्व भी नहीं मिल पाता है और इस प्रदेश में भी प्रवेश करने पर उनके द्वारा राजस्व चोरी की जाती है, जिसकी रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

अत: अपेक्षित है कि अपने जनपद में जहॉ पर वाणिज्य/वन विभाग/परिवहन विभाग का स्टाफ नियुक्त होता है वहॉ जनपद में एक सचल दस्ता गठित कर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से आने वाले ऐसे वाहनों की जॉच भी कराई जा सकती है, जिन पर निर्धारित मात्रा से अधिक उप खनिज लदा होता है एवं उनके पास वांछित प्रपत्र उपलब्ध नहीं होते है अथवा उपलब्ध भी होते है, वह त्रुटिपूर्ण होते है। अत: इस सम्बन्ध में जनपद में एक सचल दस्ता, जिसमें सम्बन्धित जनपद की सीमा से लगे हुए सब डिवीजन के उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी और खनिज विभाग के खान अधिकारी/खान निरीक्षक तथा सुरक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल/पी0ए0सी0 उपलब्ध कराते हुए गठन सुनिश्चित करें।

उक्त सचल दस्ता के गठन व उसके कियान्वयन से उपखनिजों के अवैध परिवहन तथा उपलब्ध प्रपत्रों के सत्यापन सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सकेगी और प्राप्त होने वाले राजस्व को जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे प्रदेश के राजस्व में न सिर्फ वृद्धि होगी, बल्कि खनिजों के अवैध परिवहन पर भी प्रभावी अंकुश लग सकेगा और यदि कोई ऐसा प्रकरण पाया जाता है, जिसमें प्राथमिकी आदि भी दर्ज कराना आवश्यक है तो तत्काल तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। सचल दस्ते द्वारा किये गये कार्य का नियमित अनुश्रवण भी किया जाय और की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट भी नियमित रूप से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in